

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... श्यामुबाई ..... बनाम ..... अवालत .....  
.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 160/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी-श्री / श्रीमती <u>श्यामुबाई</u> पत्नी <u>गणेशचल्लाम गुर्जर</u> श्री <u>गुर्जर मोदल्ला सेती</u> निवासी- <u>सेती</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेती</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>61, 62, 64</u> <u>67, 68</u> <u>0.25 0.34 0.52</u> <u>0.29 0.75</u> कुल कीता <u>5</u> कुल रकबा <u>2.1500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>61</u>, <u>62</u>, <u>64</u>, <u>67</u>, <u>68</u> <u>0.25</u>, <u>0.34</u>, <u>0.52</u>, <u>0.29</u>, <u>0.75</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>2.1500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p><u>रामचन्द्र खटीक</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>